

प्रेषक

निदेशक, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा।

सेवा में,

1. सिविल सर्जन, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण, सैक्टर-8, फरीदाबाद, भिवानी, गुडगांव तथा यमुनानगर।
2. चिकित्सा अधीक्षक, ई एस आई हस्पताल, एन0 एच0-3, फरीदाबाद, सैक्टर-8, फरीदाबाद, भिवानी, पानीपत व जगाधरी।
3. सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ई एस आई डिस्पेंसरी,
4. सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ई एस आई डिस्पेंसरी,

यादि क्रमांक 21/13 ESI -स्था-1-2013/4751-4821 दिनांक 14/8/13

विषय :- **Prior Permission by Taxi.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयलिखित मामले में आपको लिखा जाता है कि जो चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक सरकारी कार्य हेतु यात्रा करते हैं, वह सम्बन्धित सिविल सर्जन से टैक्सी की अनुमति प्राप्त करके यात्रा करें।

प्रशासनिक अधिकारी

कते: निदेशक, ई एस आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा

SUPERINTENDENT,
E.S.I Health Care, Hafiana.